अधिसूचना सं. 40/2010 [एफ.सं. 187/01/2010-आईटी (ए-आई)], दिनांक 26-5-2010

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 732(ई), दिनांक 31 जुलाई, 2001 में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची - I में, -

(*i*) क्रम संख्या 84 और 85 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
"84	आयकर आयुक्त-I लखनऊ	लखनऊ उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में,- (*a*) जिला लखनऊ (*b*) लखनऊ जिले के निम्नलिखित पोस्टल इंडेक्स नंबर (पिन) कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र, - (*a*) 226001 - लखनऊ जीपीओ (*b*) 226006 - महानगर (*c*) 226007 - न्यू हैदराबाद (*d*) 226010 - गोमती नगर (*e*) 226013 - आईआईएम, मुबारकपुर (*f*) 226015 - सीआईएमएपी (*g*) 226016 - इंदिरा नगर (*h*) 226019 - चिन्हट औद्योगिक क्षेत्र (*i*) 226021 - सेक्टर सी, सीतापुर रोड (*j*) 226022 - विकास नगर (*k*) 226023 - मानस नगर (*l*) 226024 - अलीगंज (*m*) 226026 - बेहटा (*n*) 227105 - चिन्हट (*o*) 227107 - काकोरी (*p*) 227111 - मलिहाबाद (*q*) 227115 - मॉल	(*a*) कॉलम (6) के मद (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति, जो लखनऊ जिले में पंजीकृत कार्यालय वाली कंपनियां हैं और जिनके नाम "क" से "ञ" तक के अक्षरों से शुरू होते हैं; (*b*) उपरोक्त मद (क) में निर्दिष्ट कंपनियों के निदेशक और प्रबंध निदेशक। (*c*) कॉलम (6) के मद (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशे से आय प्राप्त करते हैं और जिनका मुख्य व्यवसाय स्थान कॉलम (4) के मद (ख) और/या (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर स्थित है। (*d*) कॉलम (6) के मद (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति, जो व्यवसाय या पेशे के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं और कॉलम (4) के मद (ख) और/या (ग) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर निवास करते हैं। (*e*) कॉलम (6) के मद (ग) की उप-मद (i) और मद (ग) की उप-मद (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति जो कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं, व्यवसाय या पेशे के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं और	(*a*) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत या विधि द्वारा निर्मित कंपनियां और उनके निदेशक और प्रबंध निदेशक। (*b*) उपरोक्त मद (क) में उल्लिखित कंपनियों और उनके निदेशकों और प्रबंध निदेशकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जिनकी आय का मुख्य स्रोत "वेतन" या "पेंशन" से नहीं है। (*c*) (*i*) उपरोक्त मद (क) और (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जिनकी आय का मुख्य स्रोत निम्नलिखित से "वेतन" और/या "पेंशन" है: (*a*) केंद्र सरकार (भारत सरकार), केंद्र सरकार निगम या उपक्रम या संस्थान; (*b*) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) और सभी अन्य बैंक (निजी या सरकारी नियंत्रित या स्वामित्व); (*c*) भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी),

		(*r*) 227116 - रहीमाबाद (*s*) 227202 - बक्सी का तालाब (*t*) 227205 - इटौंजा (*u*) 227207 - एफएफटीसी इंदौराबाग (*c*) लखनऊ जिले के भीतर कोई अन्य क्षेत्र, जो कॉलम (4) के मद (*ख*) में उल्लिखित पोस्टल इंडेक्स नंबर (पिन) कोड द्वारा कवर नहीं किया गया है और आयकर आयुक्त-II, लखनऊ के अधिकार क्षेत्र में भी शामिल नहीं है।	लखनऊ जिले के भीतर निवास करते हैं।	साधारण बीमा निगम (जीआईसी) और अन्य पब्लिक सेक्टर बीमा कंपनियां, और (*d*) निजी क्षेत्र नियोक्ता या प्रतिष्ठान। (*ii*) उपरोक्त मद (क) और (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जिनकी आय का मुख्य स्रोत वेतन और/या पेंशन है जो मद (ग) की उप-मद (i) में उल्लिखित मामलों या मामलों की श्रेणियों द्वारा कवर नहीं है और आयकर आयुक्त-II, लखनऊ के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कवर नहीं है।
		(*d*) जिला उन्नाव	(*f*) कंपनियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति, जो व्यवसाय या पेशे के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं और उन्नाव जिले के भीतर निवास करते हैं। (*g*) कंपनियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशे से आय प्राप्त करते हैं और जिनका मुख्य व्यवसाय स्थान उन्नाव जिले के भीतर स्थित है। (*h*) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत या विधि द्वारा निर्मित कंपनियां जिनका पंजीकृत कार्यालय उन्नाव जिले में है।	(*d*) सभी मामले।
आयकर आयुक्त-II लखनऊ	लखनऊ, उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश राज्य में, - (*a*) जिला लखनऊ (*b*) लखनऊ जिले के निम्नलिखित पोस्टल इंडेक्स नंबर (पिन) कोड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र :- (*a*) 226002 -	(*a*) कॉलम (6) के मद (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति, जो लखनऊ जिले में पंजीकृत कार्यालय वाली कंपनियां हैं और जिनके नाम 'ट' से 'य' तक के अक्षरों से शुरू होते हैं। (*b*) उपरोक्त (क) में	(*a*) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत या विधि द्वारा निर्मित कंपनियां और उनके निदेशक और प्रबंध निदेशक। (*b*) उपरोक्त मद (क) में उल्लिखित कंपनियों और

दिलकुशा (*b*) 226003 - लखनऊ चौक (*c*) 226004 - ऐशबाग (*d*) 226005 - आलमबाग (*e*) 226008 - औद्योगिक क्षेत्र सरोजिनी नगर (*f*) 226009 - अमौसी (*g*) 226011 - मानकनगर (*h*) 226012 - एलडीए कॉलोनी (*i*) 226014 - एसजीपीजीआई (*j*) 226017 - राजाजी पुरम (*k*) 226018 - अमीनाबाद पार्क (*l*) 226020 - डालीगंज (*m*) 226025 - भीम राव अंबेडकर विश्वविद्यालय (*n*) 227101 - बांथरा (*o*) 227120 - अमेठी (*p*) 227125 - गोसाईगंज (*q*) 227305 - मोहनलाल गंज (*r*) 227308 - नगराम (*s*) 227309 - निगोहान	निर्दिष्ट कंपनियों के निदेशक और प्रबंध निदेशक। (*c*) कॉलम (6) के मद (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशे से आय प्राप्त करते हैं और जिनका मुख्य व्यवसाय स्थान कॉलम (4) के मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर स्थित है। (*d*) कॉलम (6) के मद (ख) में निर्दिष्ट व्यक्ति, जो व्यवसाय या पेशे के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं, और कॉलम (4) के मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र के भीतर निवास करते हैं; (*e*) कॉलम (6) के मद (ग) में निर्दिष्ट व्यक्ति जो कर्मचारी और पेंशनभोगी हैं। व्यवसाय या पेशे के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं, और लखनऊ जिले के भीतर निवास करते हैं।	उनके निदेशकों और प्रबंध निदेशकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जिनकी आय का मुख्य स्रोत "वेतन" या "पेंशन" से नहीं है। (*c*) उपरोक्त मद (क) और (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जिनकी आय का मुख्य स्रोत उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार निगम या उपक्रम या संस्थान, स्थानीय निकाय, स्वायत्त निकाय से "वेतन" और/या "पेंशन" है।
(*c*) जिला बाराबंकी	(*f*) कंपनियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति, जो व्यवसाय या पेशे के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से आय प्राप्त करते हैं और बाराबंकी जिले के भीतर निवास करते हैं। (*g*) कंपनियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति जो व्यवसाय या पेशे से आय प्राप्त करते हैं और जिनका मुख्य व्यवसाय स्थान बाराबंकी जिले के भीतर स्थित है। (*h*) कंपनी अधिनियम,	(*d*) सभी मामले।" बाराबंकी।

1956 के अंतर्गत
पंजीकृत या विधि द्वारा
निर्मित कंपनियां जिनका
पंजीकृत कार्यालय
बाराबंकी जिले में है।

2.यह अधिसूचना 1 जून, 2010 से लागू होगी।

■■